गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000 एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

शमन / स्वीकृत पत्र

पत्रांकः 416 /प्रवर्तन जोन–4/2015–16 दिनांकः 15/12/15

सेवा में,

मैसर्स महागुन रियल स्टेट प्रा0लि0,
बी–66, प्रथम तल, विवेक विहार, दिल्ली–92

विषयः **भूखण्ड/खसरा संख्या–839, 840, 841, 853, 854, 855, 1037, 1038, व 1039, ग्राम–महरौली, डासना, एन.एच.–24, दिल्ली–हापुड़ बाईपास मार्ग, गाजियाबाद पर निर्मित भवन के निर्माण के शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय शमन आवेदन दिनांक 24.07.2015, शपथ पत्र दिनांक 23.07.2015 शमन मानचित्रों एवं अन्य दस्तावेजों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शुल्कों एवं प्रतिबन्धों के साथ दिनांक 20.10.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी। स्वीकृति के क्रम में आरोपित शमन शुल्क धनांक रु0 5,84,83,871.00 जमा किये जाने हेतु डिमांड पत्र संख्या–297/प्रवर्तन जोन–4/2015, दिनांक 28.10.2015 प्राधिकरण द्वारा निर्गत किया गया। डिमांड पत्र के सापेक्ष आप द्वारा आरोपित शमन शुल्क ब्याज सहित रु0 5,95,59,814.00 (रुपये पांच करोड़ पिचानवे लाख उनसठ हजार आठ सौ चौदह) मात्र विजया बैंक, नवयुग मार्केट दिनांक 23.11.2015 के द्वारा जमा किये जाने पर शमन मानचित्र में विद्यमान निर्माण का निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है :–

1. शपथ पत्र दिनांक 07.07.2014 में दिये गये बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
2. स्थल पर नियमानुसार लैण्ड स्कोप एवं वृक्षारोपण का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा।
3. पार्किंग के लिए निर्धारित स्थल का प्रयोग सिर्फ पार्किंग हेतु सुनिश्चित करना होगा।
4. शमनित भवन का गुणवत्ता, मान्य तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल डिजाईन आदि में कभी अथवा अन्य किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन परिसर में कोई दुर्घटना होती है, तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए निर्माणकर्ता के निदेशकगण निजी रूप से उत्तरदायी होंगे एवं शमन मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो निर्माणकर्ता/फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी।
5. निर्माणकर्ता को अग्निशमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
6. निर्मित भवनों के प्रयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।
7. निर्मित भवन में स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं मानचित्रों को आई.आई.टी. से कराये गये वेट का अनुपालन करना होगा।
8. निर्माणकर्ता को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
9. सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व परिसर के समस्त सर्विसेज को क्रियाशील करना होगा, स्थल पर निर्मित रूफटॉप, रेनवाटर हार्वेस्टिंग को सम्पूर्ति प्रमाण पत्र को प्राप्त करने से पहले क्रियाशील करना होगा।
10. शमन मानचित्र में दर्शित स्वीकृत से विपरीत कोई उपयोग मान्य नहीं होगा।
11. प्रभावी उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट–2010 के समस्त प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
12. ग्रुप हाउसिंग हेतु 15 प्रतिशत आवश्यक ग्रीन हेतु क्षेत्रफल जनसामान्य हेतु सुरक्षित एवं आरक्षित रखना होगा।
13. भू–स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। भूमि सम्बन्धी विवाद संज्ञान में आने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, इस आशय का शपथ पत्र में वर्णित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
14. सुरक्षा मंत्रालय के वायु भवन से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रों में वर्णित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
15. विकास एवं निर्माण से सम्बन्धी ऐसी अपेक्षाएं/प्रावधानों जो उपविधि–2008 गा0वि0प्रा0 में वर्णित नहीं है, के सम्बन्ध में नेशनल बिल्डंग कोड तथा आई.एस.वी.आई.एस. के प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वय उत्तरदायी होंगे।

संलग्नकः शमन मानचित्र की एक प्रति।

(दयानन्द प्रसाद)
विशेषकार्याधिकारी/प्रभारी प्रवर्तन जोन–4